शोध मंथन, Vol. –VIII, No. 1, 2017 ISSN: (P): 0976-5255, (e): 2454-339X

ICRJIFR

IMPACT FACTOR

3.8942

भारत में बाल श्रम एवं इसके दुष्परिणाम

प्रवीन कुमार
सहायक अध्यापक
नेहरू स्मारक इण्टर कॉलिज, कुराली
(मेरठ)
pkdev44@gmail.com

सारांश

वर्तमान समय में भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व बाल मजदूरी की समस्या से ग्रस्त है। बाल श्रम भारत के साथ–साथ पूरे विश्व के लिए एक ज्वलंत समस्या बनती जा रही है। जैसे–जैसे सरकारें नये–नये कानून बनाकर बाल मजदूरी पर रोक लगाने का प्रयास कर रही हैं तो दूसरी तरफ यह समस्या नये–नये रूपों में और अधिक सामने आती जा रही है। सस्ते श्रमिक की चाहत में छोटे से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति भी बाल श्रम से अपना मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं। बाल श्रम की कुरीति से छुटकारा पाने के लिए सरकार भी पीछे नहीं है लेकिन नये–नये कानून बनाकर भी सरकार इसे रोक पाने में असफल रही है। भारत में बाल श्रम में कमी न होने का एक प्रमुख कारण सरकार की उदासहीनता है। सरकार कानून तो बना रही है लेकिन उन कानूनों को लागू करवाने में सरकारी कठोरता का अभाव देखा जा सकता है। आज दुनिया में 215 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है और इन बच्चों का समय स्कूल में कॉपी–किताबों और दोस्तों के बीच नहीं बल्कि होटलों, उद्योगों में बर्तन एवं झाड़ू–पोंछे और औजारों के साथ बितता है। भारत में तो यह स्थिति बहुत ही भयावह हो चली है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत में ही हैं। 1991 में यह आंकड़ा 11.3 मिलियन तक था जो 2001 की जनगणना में 12.7 मिलियन तक पहुँच चुका है।

बाल श्रम का अर्थ

जब कोई बच्चा अपने बचपन में खेलने–कूदने और पढ़ने की उम्र में अपना जीवन–यापन चलाने के लिए किसी व्यक्ति के पास या संस्था में काम करता है तो यह बाल मजदूरी या बाल श्रम (Child Labour) कहलाता है। कानूनी की दृष्टि से देखें तो 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा जब मजदूरी के कार्य (चाहे वह उसकी मर्जी से ही क्यों न करवाये जा रहे हैं) बाल श्रम के अंतर्गत आता है।

बाल मजदूरी बच्चों से लिया जाने वाला वह कार्य है जो किसी भी क्षेत्र में उनके मालिकों द्वारा करवाया जाता है। अधिकतर यह कार्य बच्चों के अभिभावकों या संस्था मालिकों के द्वारा जबर्दस्ती कराया जाता है। नैसर्गिक रूप से देखा जाये तो बचपन सभी बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। बचपन में बच्चों के द्वारा की गयी क्रियायें जैसे–खेलना, कूदना, आपस में लडाई करना, माता–पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों का प्यार पाना, अपनी मर्जी से सोना तथा उठना आदि सभी क्रियायों पर सभी बच्चों को समान रूप से अधिकार होता है।

लेकिन जब बच्चा बाल श्रमिक के तरफ अग्रसर होता है तो वही बच्चा बड़ों की तरह ही अपना जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। बाल श्रम के कारण बच्चों के जीवन में अनेक जरूरी चीजों की कमी हो जाती है। जैसे–उचित शारीरिक वृद्धि एवं विकास, दिमाग का अनुपयुक्त विकास, पढ़ाई–लिखाई से विरतता, उचित संस्कारों का अभाव, सामाजिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थतता आदि।

भारत में बाल श्रमिकों का शोषण

बाल श्रम की वजह से बच्चे, बचपन में उन्हें अपने बड़ो से मिलना वाला स्नेह से वे दूर होते जाते हैं और अपने बचपन में भी उनहें अपना जीवन एक व्यस्क की तरह गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फैक्ट्री या संस्था में जाने के लिए सुबह जल्दी उठना, बिना खाये या कम खाना खाये ही काम पर निकलना, समय पर पहुँचकर पूरे दिन और देर रात तक काम करना। इन संस्थाओं में मालिकों के साथ–साथ व्यस्क सहकर्मी भी बाल श्रमिकों से दुव्यर्वहार करते हैं। बाल श्रमिकों के साथ गाली–गलौच करना तो एक आम बात है। अनेकों बार बाल श्रमिकों की बिना किसी खास वजह के पिटाई भी की जाती है। अनेक जगहों पर तो बाल श्रमिकों का यौन शोषण भी किया जाता है। यह शोषण मालिकों तथा व्यस्क श्रमिकों द्वारा भी किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाल श्रमिकों को उनके कार्य का सबसे कम मूल्य दिया जाता है अर्थात् काम तो वे एक व्यस्क मजदूर से भी ज्यादा या बराबर करते हैं पर उन्हें एक व्यस्क मजदूर की भांति एक समान मजदूरी नहीं दी जाती है। भारत में तो विशेषकर इसी प्रकार की सोच के साथ बाल मजदूरों को फैक्ट्री या मिलों में रखा जाता है। भारत में बाल श्रमिकों का जर्बदस्त शोषण किया जाता है। महिला बाल श्रमिकों की स्थिति तो सबसे ज्यादा बद्दतर है। उनका तो हर कदम पर प्रत्येक प्रकार का शोषण किया जाता है।

उत्तर भारत एवं पंजाब के ग्रामीण इलाकों के किसान बिहार, झारखण्ड आदि प्रदेशों से लाये गये बाल श्रमिकों से खेतीबाड़ी एवं गाय, भैंसों का कार्य व्यापक स्तर पर कराते हैं और बाल श्रमिकों को मजदूरी रूप में केवल खाने–पीने ही दिया जाता है तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत के शिवकाशी में बाल श्रमिकों के द्वारा व्यापक स्तर पर पटाखों का निर्माण कराया जाता है। शिवकाशी में तो हर समय विस्फोट का खतरा उनकी जान पर बना रहता है। HAQ, Centre of Child rights के अनुसार भारत में मुस्लिम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ वर्ग में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। अनेक NGO ने यह पाया है कि कर्नाटक के बेल्लारी जिले में बाल श्रमिकों को बड़ी संख्या में कपडों पर कढ़ाई–बुनाई के कार्य पर लगाया हुआ है। भारत में बंधुआ बाल श्रमिक के रूप में लड़कों के साथ ही साथ लड़कियों को भी रखा जा रहा है। इन बंधुवा

श्रमिक लड़कियों का यौन शोषण भी व्यापक स्तर पर किया जाता है और कभी–कभी ये शोषण उनकी मृत्यु तक जारी रहता है।

ILO के अनुसार 2000 में एशिया में 5.5 मिलियन बाल श्रमिक से जबर्दस्ती कराया जाता है जबकि अकेले भारत में 10 मिलियन बंधुआ बाल श्रमिक पाये गये। तमिलनाडू में 1995 में एक NGO ने सर्वे में 125,000 बंधुआ बाल श्रमिक पाये गये। बंधुआ बाल श्रमिकों से मुख्य रूप से कृषि कार्य के साथ बीड़ी बनाना, ईंट पथवाना, कारपेट बुनाई, भवन निर्माण, होटलों, चाय की दुकानों, चमड़ा उद्योग, कोयलों की खानों आदि क्षेत्रों में कार्य कराया जाता है। कहना का तात्पर्य यह है कि बाल श्रमिक का हर प्रकार से शोषण किया जाता है।

भारत में बाल मजदूरी के कारण

भारत में बाल मजदूरी के अनेक कारण हैं। बेरोजगारी, अशिक्षा, निम्न स्तर का रहन–सहन, गरीबी, परिवार का बड़ा होना, माता–पिता की निम्न आय आदि। भारत में बाल मजदूरी का सबसे मुख्य कारण है गरीबी। गरीबी के कारण बच्चों के माता पिता उन्हें ठीक प्रकार से पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बच्चे बाल मजदूरी के दलदल में फसता चला जाता है। बाल श्रम का दूसरा प्रमुख कारण मुस्लिमों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग में परिवार का बड़ा होना। परिवार के बड़े होने के कारण तथा माता–पिता की कम आय होने के कारण मजबूर होकर बच्चों को बाल श्रमिक बनना पड़ता है। माता–पिता भी इसके लिए तैयार रहते हैं और ये सोचकर बच्चों को बाल श्रमिक बना देते हैं कि चलो परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और यही बात बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर देती है। यही बच्चे पूरी उम्र पढ़ाई के अभाव में बाल श्रमिक से केवल एक व्यस्क श्रमिक ही बन पाते हैं। इस प्रकार के श्रमिक के बच्चे भी भविष्य में बाल श्रमिक बनने की संभावना ज्यादा रहती है। विभिन्न स्थानीय दुकानदारों, होटलवालों एवं मिल मालिकों का कम पैसों में मजदूर मिलने का लालच के कारण वह छोटे बच्चों से मजदूरी करवाते हैं और मजदूरी में कम पैसे देते हैं।

भारत में बाल मजदूरी के प्रभाव

भारत में बाल श्रम या बाल मजदूरी से बच्चों पर शारीरिक और मानसिक रूप से व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। बाल श्रम वाले बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जात हैं। स्कूल एवं पढ़ाई के अभाव में इनका उचित मानसिक एवं शारीरिक विकास अपनी आयु के अनुसार नहीं हो पाता है जो कि अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए ठीक नहीं है। शिक्षित एवं शक्तिशाली नागरिक के अभाव में कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता है जबकि हमारा देश के पहले से ही शिक्षा, विकास, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ रहा है। बाल श्रम से देश में बेरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी बढ़ती जाती है किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। जिस प्रकार बाल श्रमिक उचित खान–पान एवं देखभाल के अभाव में कमजोर होते जाते हैं उसी प्रकार देश भी उतना ही कमजोर होता चला जाता है। अब भारत सरकार ने आठवीं तक की शिक्षा को

अनिवार्य और निशुल्क के साथ–साथ वजीफा, ड्रेस तथा मिड–डे मिल की भी व्यवस्था कर दी है लेकिन लोगों की गरीबी और बेबसी के आगे यह योजना भी निष्फल साबित होती दिखाई दे रही है। बच्चों के माता–पिता सिर्फ इस वजह से उन्हें स्कूल नहीं भेजते क्योंकि उनके स्कूल जाने से परिवार की आमदनी कम हो जाएगी।

भारत में बाल मजदूरी की समस्या का निवारण

- बाल मजदूरी की समस्या हो हल करने के लिए अर्थात् बाल श्रम को जड़ से खत्म करने के लिए हमें व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलानी होगी। बाल श्रमिकों के माता–पिता को उनके बच्चों पर बाल श्रम के पड़ने वाले दुष्परिणामों की जानकारी देनी होगी।
- इसके साथ ही साथ बाल मजदूरी करवाने वाले व्यक्तियों एवं मालिकों को पहले तो यह बताना होगी कि वह थोड़े से रूपया बचाने के चक्कर बाल श्रम से देश का भविष्य को अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं क्योंकि यह बाल श्रमिक जीवन भर कमजोर बने रहेंगे और कमजोर नागरिक कभी भी मजबूत देश का निर्माण नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ बाल मजदूरी करवाने वाले मालिकों को कठोर कानूनी सजा दिलवाने से भी बाल मजदूरी पर अंकुश लगेगा।
- इसके अलावा शिक्षा का प्रचार–प्रसार करके बाल श्रम की बुराई को कम किया जा सकता है। अशिक्षित व्यक्ति बाल मजदूरी को नहीं समझता है। शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार होगा तो बाल मजदूरी पर रोक लगेगी तथा लोग बाल श्रम के प्रति जागरूक होंगे।
- बेरोजगारी तथा गरीबी पर पर ध्यान देकर सरकार बाल श्रम को खत्म तो नहीं पर कम से कम तो कर ही सकती है। बाल मजदूरी रोकने के लिए पहले गरीबी को मिटाना होगा, जिस से गरीब आदमी अपने बच्चों को मजदूरी करने नहीं भेजेगा।
- इसके अलावा आम आदमी को यह दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि वो ऐसी दुकानों या संस्थाओं से समान या अन्य दूसरी वस्तु नहीं खरीदेगा जहां पर कोई बच्चा बाल मजदूरी कर रहा है तथा बाल श्रमिक को देखते ही तुरन्त पुलिस में अन्य सम्बन्धित जगहों पर इसकी शिकायत करें। इस प्रकार आम जनता एवं सरकार मिलकर बाल मजदूरी को रोकथाम में सहायता कर सकते हैं।
- बाल मजदूरी या बाल श्रम रोकने का एक कड़ा उपाय है कानून, जिससे सस्ती मजदूरी के चक्कर में बच्चों से काम करवाने वाले दुकानदारों, मिल मालिकों को कड़ी सजा हो सके जिससे वह बाल मजदूर को अपने यहां काम नहीं करवा सकें।
- वैसे भारत में यदि जापान मॉडल को लागू कर दिया जाये तो बाल श्रम की समस्या खुद–ब–खुद खत्म हो जायेगी। जैसा कि ज्ञात है कि जापान में बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा के साथ स्कूल में ही उसे व्यवसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया जाता है। इलैक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर, मोबाईल तथा इसी प्रकार के अन्य तकनीकी वाले अन्य छोटे–छोटै गैजेट बच्चे अपनी प्रारम्भिक शिक्षा के साथ ही साथ सीख जाते हैं तथा उन्हें पढ़ाई के साथ–साथ आमदनी करने का मौका भी दिया जाता है। इससे बच्चे बाल श्रम में न पढ़कर अपनी पढ़ाई के साथ तकनीकी ज्ञान दोनों प्राप्त कर लेता है।

सन्दर्भ सूची

1. *भारतीय जनगणना 2001*
2- *"What is child labour?" International Labour Organisation, 2012.*
3- *The International Labour Organisation (ILO), 2012*
4- *"Shivkashi History" Sivakasi Municipality, 2011. Retrived 2012-12-29*
5- *wikipedia.org/*
6- *www.cry.org/*
7- *www.compassion.com/*